

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/Road/145285/2021.

7-	परियोजना/स्कीम का स्थान	छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत प्रस्तावित उन्नयन एवं चौड़ीकरण सुकमा-जगदलपुर-कोंटा मार्ग कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल लम्बाई 6.010 कि०मी० निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र कोटमसर अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 8.386 हे० क्षेत्र की न्यूनतम मांग है।
i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii.	जिला	बस्तर
iii.	वन प्रभाग	निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर
iv.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	8.386 हेक्टेयर
v.	वन की कानूनी स्थिति	
	(क) सीमांकित संरक्षित वन	-
	(ख) सीमांकित आरक्षित वन	8.386 हेक्टेयर
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	-
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र	-
	योग :-	8.386 हेक्टेयर
vi.	हरियाली का घनत्व	0.5 से 0.6
vi i.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. -2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	सूची संलग्न है।
vi ii.	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	निरंक
ix.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वन सीमा से लगा हुआ। (मानचित्र संलग्न)

	x.	क्यों फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं है
	xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
	xi i	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत प्रस्तावित उन्नयन एवं चौड़ीकरण सुकमा-जगदलपुर-कोंटा मार्ग कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल लम्बाई 6.010 कि०मी० निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र कोटमसर अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 8.386 हे० क्षेत्र की न्यूनतम मांग है।
8		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरे सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित वनभूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
10		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	आवश्यकता नहीं है।
	ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	आवश्यकता नहीं है।

	iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	आवश्यकता नहीं है।
	iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	रुपये
	v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	आवश्यकता नहीं है।
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
12		जिला/प्रभाग	
		प्रत्यक्ष प्राथमिक क्षेत्र	4029.980 Sq Km.
		प्रत्यक्ष प्राथमिक क्षेत्र	2211.807 Sq Km.
		प्रत्यक्ष प्राथमिक क्षेत्र	1083.761 Sq Km.
		प्रत्यक्ष प्राथमिक क्षेत्र	661.326 Sq Km.
		प्रत्यक्ष प्राथमिक क्षेत्र	466.720 Sq Km.
		प्रत्यक्ष प्राथमिक क्षेत्र	2211.807 Sq Km.
		प्रत्यक्ष प्राथमिक क्षेत्र	
	iv	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	
		क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	
		ख. वनेत्तर भूमि पर।	
	v.	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
		क. वनभूमि।	

	ख. वेनेत्तर भूमि पर	
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-221) के कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल लम्बाई 6.010 कि०मी० कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत विद्यमान मार्ग की चौड़ाई बी०टी० 3.00 मी. है। आवागमन के समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। विद्यमान मार्ग को उन्नयन एवं चौड़ीकरण करने से आवागमन की सुविधा होगी। बनाने के उद्देश्य से ताकि व्यापारिक वित्तीय एवं आवागमन, परिवहन सुविधा हो सके, चौड़ीकरण निर्माण हेतु कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन रकबा कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206, कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991, कक्ष क्रमांक 165 रकबा 1.990 कुल योग रकबा 8.386 हेक्टेयर क्षेत्र की न्यूनतम मांग है।

दिनांक : 16/5/2022

स्थान : जगदलपुर


 निदेशक
 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
 जगदलपुर